न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 439/2026

मो0 अफसर एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

सोहसराय थाना कांड सं0 206/2022

अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 379, 427, 504 I.P.C

06.03.2026

अभियुक्त **मो0 अफसर एवं मो0 अरशद** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेन्द्र कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक शंकर कुमार के लिखित आवेदन में कथन है कि 04 अगस्त 2022 को महुआ टोला एवं बिचली अड़ान के कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा मुहर्रम के जुलुस निकाला गया जो बिचली अड़ान से होते हुए बीच बाजार बड़ी देवी जी के पास पहुंचा, तो 20–25 लोग हंगामा करने लगा तथा गलत नारा लगाने लगा, इस पर वहां के लोगों ने शान्तिपूर्वक जाने को कहा तो वे लोग उग्र हो गये और वापस चले गये और वापस चले गये फिर 15 मिनट बाद करीब 60–79 लोगों की संख्या में जान मारने के नियत से तलवार एवं लोहे का रड लेकर आये और ईट–पत्थर चलाने गये, जिससे दोनों समुदाय में तनाव की स्थिति पैदा हो गयी और बीच बाजार के लोगों को चोटें आयी। शंकर प्रसाद के दरवाजा पर लगे मोटरसाइकिल को रड एवं ईट से मो0 हुमांयु बाबर एवं जिषान बाबर चूर दिया। प्राथमिकी नामित अभियुक्त एवं अन्य लोगों ने सुनील कुमार निराला को जान मारने के नियत से सिर पर मारा जिससे उसे काफी चोटें आई तथा गले से सोने का चैन छिन लिया। बाद में अस्पताल जाकर ईलाज कराया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण को झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । उक्त धाराओं का अभियोग आवेदकगण के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। उनका यह भी कथन है कि आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है । धारा 307 एवं 379 मामले को गंभीर व अजमानतीय बनाने हेतु झूठा लगाया गया है। इस वाद के सह–अभियुक्तो को पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन स0 1771/22, 326/25, 490/23 एवं 758/23 के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदकगण का आरोप जमानत प्राप्त सह–अभियुक्तों के समरूप है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । अतः आवेदकगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 439/2026

मो0 अफसर एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

सोहसराय थाना कांड सं0 206/2022

अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 307, 379, 427, 504 I.P.C

लगातार

06.03.2026

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा यह स्वीकार करते हैं कि इस वाद के कई सह–अभियुक्तों को पूर्व में जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदकगण के विरूद्ध मारपीट करने या कोई अन्य विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। इस वाद के सह–अभियुक्तो को पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1771/22, 1795/22, 326/25, 490/23 एवं 758/23 के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। चोरी का अभियोग सुपर एडिशन प्रतीत होता है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदकगण को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।